**दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर जेब काटने की गतिविधियां**

2099. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कुछ समय से दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर पुलिस की मिली भगत से जेब कतरों के कई गिरोह सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को जल्दी-जल्दी बदलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) :** (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर पुलिस की मिली भगत से जेबकतरों का इस प्रकार का कोई गिरोह कार्य नहीं कर रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती संवेदनशील तैनाती मानी जाती है और सामान्य सिद्धान्तों के तहत वहां पर अधिकारियों और कार्मिकों की तैनाती केवल दो वर्ष के लिए की जाती है ।

**राष्ट्रीय एकता परिषद् का संकल्प**

2100. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् की पिछली बैठक में कोई संकल्प पारित किया गया था और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त संकल्प को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) :** (क) और (ख) राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक 23 नवम्बर, 1992 को हुई, जिसमें परिषद् ने अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव पारित किया कि "बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि विवाद के सभी पहलुओं तथा सरकार की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद परिषद् प्रधान मंत्री को संविधान और कानून की परिशिष्ट में तथा न्यायालय के आदेशों को कार्यान्वित करने में वे जो भी कार्रवाई आवश्यक समझते हैं, उसके लिए अपना हार्दिक समर्थन और सहयोग प्रदान करती है ।"

उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित अवमानना याचिका में माननीय न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि केन्द्र सरकार को इस मामले में अपने रुख का उल्लेख करना चाहिए ताकि माननीय न्यायालय को ऐसे आदेश तैयार करने में मदद मिल सके, जिससे माननीय न्यायालय के पहले के आदेशों का प्रवर्तन सुनिश्चित हो सके । तद्नुसार 23 नवम्बर, 1992 को सालीसिटर जनरल ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निवेदन किया :—

(क) राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार माननीय न्यायालय के निर्देशों के पालन करने में जो भी सहायता जरूरी हो वह सभी सहायता उत्तर प्रदेश सरकार को देने के लिए तैयार है; और

(ख) भारत सरकार माननीय न्यायालय को यह आश्वासन भी देती है कि माननीय न्यायालय अपने आदेशों का प्रवर्तन करने के लिए जो भी निर्देश देगा, भारत सरकार वैसी ही कार्यवाही करेगी ।

28 नवम्बर, 1992 को राज्य सरकार की ओर से अन्य बातों के साथ-साथ इस आशय का हलफनामा और आश्वासन दिया गया है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अधिगृहीत भूमि में कोई निर्माण सामग्री या निर्माण मशीनरी न जाए और भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित रिट याचिका के बारे में जब तक उच्चतम न्यायालय के अंतरित आदेश लागू है तब तक कोई निर्माण गतिविधि नहीं होगी या की जाएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 28 नवम्बर, 1992 के अपने आदेश में राज्य सरकार

द्वारा दिए गए सुस्पष्ट आश्वासन और वचन का ध्यान रखा है। 1 दिसम्बर, 1992 को दिए गए अपने आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार और साथ-ही-साथ केन्द्र सरकार को यह निर्देश भी दिए हैं कि इस तथ्य का पर्याप्त प्रचार किया जाए कि प्रस्तावित कार सेवा के दौरान कोई निर्माण गतिविधि न हो अथवा अधिगृहीत भूमि पर कोई निर्माण सामग्री न ले जाई जाए। केन्द्र सरकार ने इस विषय में उपयुक्त कार्रवाई की है।

मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है और इसलिए न्यायाधीन है।

**कल्याण संगठनों को विदेशी सहायता**

2101. **श्री राम नरेश यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ऐसे कल्याण संगठन कितने हैं जिन्हें विदेशी सहायता मिल रही है; और

(ख) दोनों राज्यों से संबंधित ऐसे आवेदन पत्रों की कुल संख्या कितनी है जो विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए कल्याण संगठनों के पंजीकृत कराने हेतु केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लंबित है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब)** : (क) उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रमशः 319 और 461 एसोसिएशन हैं जिन्होंने विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की सूचना नियम, 1976 के अधीन वर्ष 1990 के दौरान विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की सूचना दी है।

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन बिहार और उत्तर प्रदेश के क्रमशः 288 और 412 आवेदन पंजीकरण के लिए लंबित हैं।

**पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण**

2102. **श्री राम नरेश यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुलिस विभाग में सुधार करने अथवा उसके आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों से कुछ सुझाव/प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुलिस विभाग में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति बनाई गई है ?

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब)** (क) और (ख) राज्य के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों को उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राज्य सरकार से वाहनों संचार उपकरणों, जांच एवं प्रशिक्षण के लिए वैज्ञानिक संसाधनों की मदों के लिए प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है।

(ग) चूंकि "पुलिस" राज्य का विषय है, इसलिए अपने पुलिस विभागों में आवश्यक परिवर्तन लाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

**Reforms in the area of Crime Investigation**

2103. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of Chief Ministers was held recently in connection with the reforms needed in area of crime investigation, changes needed in the laws such as the Cr. P.C. and I.P.C. and the Evidence Act; and

(b) if so, the outcome of the conference and the steps proposed to be taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) : (a) Yes Sir. A Conference of Chief Ministers was held on 13th November, 1992 at New Delhi to discuss the various issues pertaining to the Administration of Criminal Justice.